

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग
—————

प.13(76)कार्मिक/क-1/गो.प्र./2021/02463

जयपुर, दिनांक:

—: परिपत्र :-

विषय:—राजसेवकों द्वारा वर्ष 2024 (01 जनवरी 2025 की स्थिति में) का अचल सम्पत्ति विवरण राजकाज IPR पोर्टल पर ऑनलाईन भरने के सम्बन्ध में।
—————

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.12.2024 के तहत समस्त राजसेवकों द्वारा वर्ष 2024 (01 जनवरी 2025 की स्थिति में) का अचल सम्पत्ति विवरण राजकाज IPR पोर्टल पर 31 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना था। इसी क्रम में विभागीय परिपत्र दिनांक 10.04.2025 के द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण भरने की समयावधि दिनांक 25 अप्रैल, 2025 तक बढ़ाई गई थी।

जिन राजसेवकों ने निर्धारित अवधि में वर्ष 2024 का अचल सम्पत्ति विवरण राजकाज IPR पोर्टल पर नहीं भरा है, उनको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 से 30 अक्टूबर, 2025 तक राजकाज IPR पोर्टल खोला जा रहा है।

अतः वर्ष 2024 का अचल सम्पत्ति विवरण भरने से वंचित राजसेवक उक्त निर्धारित अवधि में राजकाज IPR पोर्टल पर अचल सम्पत्ति विवरण भरना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विभागाध्यक्षों से भी निवेदन है कि जिन राजसेवकों ने वर्ष 2024 का अचल सम्पत्ति विवरण अभी तक नहीं भरा है, उन राजसेवकों को उक्त निर्धारित अवधि में अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु अनिवार्य रूप से विभागीय स्तर पर निर्देशित करें।

(डॉ. धीरज कुमार सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. अति. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मा. उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
9. अतिरिक्त निदेशक, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।
10. अतिरिक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को राजकाज IPR पोर्टल को उक्त नियत तिथि तक खोलने एवं राजसेवक को लम्बित अचल सम्पत्ति विवरण की पूर्ति करने हेतु SMS, Email एवं अन्य माध्यम से सूचित करने हेतु।



प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर राजस्थान ।
9. रक्षित पत्रावली ।